

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, श्रीम.
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प
 जिला-राजसमन्द

आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बाधाना व मू.अ.नि. 295 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार श्रीम. / नायब तहसीलदार श्रीम. की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बाधाना तहसील भीम व जिला राजसमन्द की जमाबन्दी सम्वत् 2077 (1920) में खाता संख्या 295, 370, 371 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	बाधाना	295	देवी खाई कुडी नाथूसिंह	देवी खाई कुडी नाथूसिंह
		370	— " —	— " —
		371	— " —	— " —

(श्री)
 सहायक पीठासीन अधिकारी एवं
 उपखण्ड अधिकारी, भीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा. कलक्टर, जिला-राजसमन्द

क्रमांक :- (2026) 113

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार श्रीम. को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री देवी खाई कुडी नाथूसिंह को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(श्री)
 पीठासीन अधिकारी एवं
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी, भीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
 जिला-राजसमन्द